सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जृयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 08/2007 (122/2012) **दायर तारीख :– 12.01.2007**

1. हनुमान
2. भगवाना
3. सरदारा
4. फूला
5. श्यामलाल
6. हजारी लाल

पुत्रान परता

7. कानाराम पुत्र बद्री (फौत)
   - 7/1. लाली देवी पत्नि कानाराम
   - 7/2. उर्मिला पुत्री कानाराम
   - 7/3. कृष्ण पुत्र कानाराम
   - 7/4. पंकज पुत्र कानाराम नाबालिक जरिए माता लाली देवी पत्नि कानाराम
8. ग्यारसीलाल
9. बल्लाराम

पुत्रान बद्री

समस्त जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. मदन सिंह
2. गोपाल सिंह
3. नरपत सिंह
4. जसवन्त सिंह

पुत्रान रामचन्द्र सिंह

5. सुमेर कंवर पत्नि रामचन्द्र सिंह
6. राजेन्द्र सिंह
7. नन्दसिंह
8. लालसिंह
9. मुकेश सिंह

पुत्रान किशोर सिंह

जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर

10. सन्तोष कंवर पत्नि किशोर सिंह (फौत)
    - 10/1. विमला कंवर
    - 10/2. कमला कंवर
    - 10/3. सरोज कंवर

    पुत्रियां किशोर सिंह
11. ईश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. श्यामा कंवर पत्नि कल्याण सिंह (फौत)
12/1. उगम कंवर पुत्री कल्याण सिंह
13. मोहन सिंह पुत्र भंवर सिंह (फौत)
13/1. दातारा सिंह } पुत्रान मोहन सिंह
13/2. पृथ्वी सिंह }
13/3. मदन कंवर } पुत्रियां मोहन सिंह
13/4. सुप्यार कंवर }
13/5. मोहनी कंवर पत्नि मोहन सिंह
14. रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
15. सुमन कंवर पत्नि बच्चन सिंह (नाम हजफ) — समस्त जाति राजपूत
15/1. ओम कंवर पत्नि छींतर सिंह — निवासी भाबरू
15/2. कबूल कंवर पुत्री छींतर सिंह — तहसील विराटनगर
16. बिरजू सिंह } पुत्रान जयपाल सिंह
17. धर्म सिंह }
18. रोशन कंवर पत्नि जयपाल सिंह (नाम हजफ)
19. बिना उर्फ कृष्ण कंवर } पुत्रियान जयपाल सिंह
20. मनीषा
21. मिथलेश
22. रेखा
23. हरि सिंह } पिता छींतर सिंह
24. किरोडी सिंह }
25. बल्लू
26. ओमकार पुत्र सेवा (फौत)
26/1. बाबूलाल } पुत्रान ओमकार — जाति जाट निवासी भाबरू
26/2. रामकरण } तहसील विराटनगर
26/3. अशोक
26/4. गुल्ली देवी पत्नी ओमकार
26/5. सरजो उर्फ सुरजी देवी पुत्री ओमकार पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
26/6. प्रेम देवी पत्नि शंकर लाल पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी देवन रोड शाहपुरा
26/7. नन्छी देवी पुत्री ओमकार पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी मैड तहसील विराटनगर
26/8. फूली देवी पुत्री ओमकार पत्नि नन्दाराम } जाति जाट नि॰ किशोरपुरा
26/9. मीरा देवी पुत्री ओमकार पत्नि हरफूल } तह॰ नीमकाथाना

सत्यमेव जयते

26/10. कलावती उर्फ कविता पुत्री ओमकार पत्नि सुल्तान जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
26/11. निर्मला पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
27. अर्जुन पुत्र सेवा (फौत)
27/1. मामराज
27/2. प्रहलाद
27/3. मोहनलाल
27/4. दीपक
(पुत्रान अर्जुन)
27/5. पुष्पा
27/6. सुमन
(पुत्रियां अर्जुन)
27/7. दाखली पत्नि अर्जुन
(27/1 से 27/7: जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर)
28. तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जयपुर
29. पटवारी हलका भाबरू तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

30. सुरजी
31. चन्दा
32. धोली
33. तीजा
34. मिश्री
(पुत्रियां बद्री, जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर)

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या :– 135/2013 **दायर तारीख :– 19.09.2013**

1. बाबूलाल
2. रामकरण
3. अशोक
(पुत्रान ओमकार)
4. गुल्ली देवी पत्नि ओमकार
(1 से 4: समस्त जाति जाट, निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर)
5. सरजो उर्फ सुरजी पुत्री ओमकार पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. प्रेम देवी पत्नि शंकरलाल पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी निवासी देवन रोड शाहपुरा जिला जयपुर।
7. नन्छी देवी पुत्री ओमकार पत्नि हनुमान } जाति जाट निवासी मैड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. फूली देवी पुत्री ओमकार पत्नि नन्दाराम — तहसील विराटनगर, जयपुर
9. मीरा देवी पुत्री ओमकार पत्नि हरफूल } निवासी किशोरपुरा
10. कलावती उर्फ कविता पुत्री ओमकार पत्नि सुल्तान } तह॰ नीमकाथाना
11. निर्मला पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
12. अर्जुन पुत्र सेवा (फौत)
    - 12/1. मामराज
    - 12/2. प्रहलाद — पुत्रान अर्जुन
    - 12/3. मोहनलाल
    - 12/4. दीपक
    - 12/5. पुष्पा — पुत्रियां अर्जुन
    - 12/6. सुमन
    - 12/7. दाखली पत्नि अर्जुन

    } जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. मदन सिंह
2. गोपाल सिंह — पुत्रान रामचन्द्र सिंह
3. नरपत सिंह
4. जसवन्त सिंह
5. सुमेर कंवर पत्नि रामचन्द्र सिंह
6. राजेन्द्र सिंह
7. नन्दसिंह — पुत्रान किशोर सिंह
8. लालसिंह
9. मुकेश सिंह

} जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर

10. विमला कंवर
11. कमला कंवर — पुत्रियां किशोर सिंह
12. सरोज कंवर
13. ईश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह
14. श्यामा कंवर पत्नि कल्याण सिंह (फौत)
    - 14/1. उगम कंवर पुत्री कल्याण सिंह
15. रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
16. दातारा सिंह — पुत्रान मोहन सिंह
17. पृथ्वी सिंह
18. मदन कंवर — पुत्रियां मोहन सिंह
19. सुप्यार कंवर
20. मोहनी कंवर पत्नि मोहन सिंह
21. बिरजू सिंह पुत्र जयपाल सिंह

जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर

22. धर्म सिंह उर्फ धर्मेन्द सिंह पुत्र जयपाल सिंह
23. रोशन कंवर पत्नि
24. न जयपाल सिंह (नाम हजफ)
25. बीना उर्फ कृष्णा कंवर
26. मनीषा कंवर
27. मिथलेश कंवर
28. रेखा कंवर
(25–28) पिता जयपाल सिंह
29. हरि सिंह
30. किरोडी सिंह
(29–30) पिता छींतर सिंह
31. बल्लू सिंह पुत्र छींतर सिंह
(23–31) जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
32. कबूल कंवर पुत्री छींतर सिंह
33. कुसुम कंवर पत्नि गजेनद्र सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर, जयपुर
34. हनुमान
35. भगवाना
36. सरदारा
37. फूला
38. श्यामलाल
39. हजारीलाल
(34–39) पुत्रान परता
40. कानाराम पुत्र बद्री (फौत)
39/1. लाली देवी पत्नि कानाराम
39/2. उर्मिला पुत्री कानाराम
39/3. कृष्ण पुत्र कानाराम
(34–39/3) जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर ,जयपुर
39/4. पंकज पुत्र कानाराम नाबालिक जरिए माता लाली देवी पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी भाबरू, तहसील विराटनगर
41. ग्यारसीलाल
42. बल्लाराम
(41–42) पुत्रान बद्री
43. सुरजी
44. चन्दा
45. धोली
46. तीजा
47. मिश्री
(43–47) पुत्रियां बद्री
48. लाडा देवी पत्नि बद्री
(41–48) जाति जाट, निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर
49. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
50. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :– श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादीगण
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रति॰सं॰ 1 लगा॰ 25
श्री रामगोपाल गुप्ता, अधिवक्ता प्रति॰सं॰ 26 (वारिसान)
श्री महेशचन्द मुदगल, अधिवक्ता प्रति॰सं॰ 27 (वारिसान)
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक .....

1. हस्तगत वाद के साथ हमकिता वाद संख्या 135/2013 उनवानी बाबुलाल वगैरह बनाम मदन सिंह वगैरह का निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनो वादों में शामिल की जावे।
2. वादीगण ने वादपत्र (दर्ज संख्या 122/2012) उनवान हनुमान वगैरह बनाम मदन सिंह वगैरह बाबत इस्तकरारहक खातेदार व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12.01.2007 को पेश कर निवेदन किया की ग्राम भाबरू के साबिक खसरा नम्बर 1028 लगायत 1040, 1042, 1044, 1045, 1063 किता 17 कुल रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग परता पुत्र तेजा जाट एवं भंवर सिंह, बच्चन सिंह पुत्र फौजू सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज थी।

   उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बरान के हाल सैटिलमेंट में नये नम्बर 894 लगायत 896, 898 लगायत 901, 919 लगायत 921, 896/4536 बनाये गये। आराजी मुतनाजा में भंवरसिंह, बच्चन सिंह पुत्र फौजू सिंह हिस्सा ½ एवं परता पुत्र तेजा जाट हिस्सा ½ पर आपसी मनबट से करीब 50 वर्ष पहले से काबिज रहकर काश्त करते रहे है।

   आपसी मनबट से वादीगण एवं उनके पिता परता के हिस्से व कब्जे में भूमि साबिक खसरा नम्बर 1028 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1029 रकबा 5 बिस्वा, 1034 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1045 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किता 5 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा हिस्सा ½, 1032 रकबा 7 बिस्वा हिस्सा ½, 1039 रकबा 6 बिस्वा हिस्सा ½, 1040 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा ½, 1044 रकबा 2 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का हिस्सा ½, रहा तथा शेष भूमि साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1033 रकबा 3 बिस्वा,

सत्यमेव जयते
Web Copy

1035 रकबा 3 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1042 रकबा 3 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण एवं भूमि खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा हिस्सा ½, 1042 रकबा 7 बिस्वा हिस्सा ½, 1039 रकबा 6 बिस्वा हिस्सा ½, 1040 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा ½, 1044 रकबा 2 बिस्वा हिस्सा ½ किता 5 रकबा 2 बीघा 6 बिसवा का हिस्सा 1/2 सहखातेदार भंवर सिंह, बच्चन सिंह के हिस्से व कब्जे काश्त में रही थी।

साबिक सैटिलमेंट के बाद सन् 1964 में भूमि के सहखातेदार भंवरसिंह एवं बच्चन सिंह ने बाहमी बंटवारे से उनके हिस्से में आयी भूमि मे से साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा मे से ½ बिस्वा, 1032 रकबा 7 बिसवा में 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 6 बिस्वा मे से 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 7 बिस्वा का हिस्सा ½, 1044 रकबा 2 बिस्वा के 3/4 हिस्से मे से 3/4 हिस्सा इस प्रकार कुल 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.1964 को ओमकार पुत्र सेवा प्रतिवादी संख्या 26 को व भूरा पुत्र छोटू जाट को विक्रय कर दिया था। खरीद के समय से ही खरीदशुदा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 26 ओमकार व भूरा पुत्र छोटू काबिज चले आ रहे है। भूरा के फौत होने बाद इसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 26, 27 ही काबिज है। ओमकार व भूरा के कब्जे काश्त व खरीदशुदा भूमि के हाल खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.26 हैक्टेयर बनाये गये है, जिनकी खातेदारी भी मौजूदा में प्रतिवादी संख्या 26, 27 ओमकार व अर्जुन के नाम दर्ज है।

वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्ग परता पुत्र तेजा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर कदीम से ही गत करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज काश्त है। वादीगण की खातेदारी 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु हाल सैटिलमेंट में दर्ज नये खसरा नम्बरो मे से हाल खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा उनके बुजुर्ग भूरा के नाम दर्ज कर दी गई एवं शेष भूमि हाल खसरा नम्बर 895/0.50, 896/4536/0.06, 899/0.15, 900/0.13, 901/0.15, 919/0.24, 920/0.21, 921/0.41 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर के ½ हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की गई एवं ½ हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 लगायत 25 व उनके बुजुर्गो के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी में साबिक रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के मुकाबले केवल 4 बीघा 14 बिस्वा की भूमि की ही खातेदारी दर्ज हुई है एवं प्रतिवादीगण का नाम उनके बुजुर्गो द्वारा विक्रय की गई भूमि से बची केवल 1 बीघा भूमि की अपेक्षा उनके नाम 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि की खातेदारी दर्ज कर दी गई, जबकि इनका भूमि में किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है।

कृषि भूमि की कीमते बढने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के मन में दुर्भावना आ गयी है तथा भूमि मुतनाजा खसरा नम्बर 895, 899, 900, 901, 919, 920, 921, 896/4536 किता 8 रकबा 1.85 हैक्टेयर के ½ भाग की खातेदारी गलत रूप से उनके नाम दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम दर्ज भूमि को राजस्व रिकार्ड के आधार पर हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि बाहमी बंटवारे की भूमि खसरा नम्बर 895, 896/4536, 899, 900, 901, 919, 920, 921 किता 8 रकबा 1.85 हैक्टेयर ग्राम भाबरू मे से 1.52 हैक्टेयर भूमि का वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी घोषणानुसार रिकार्ड दुरूस्ती करायी जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को बाहमी बंटवारे में आयी हुई उनके हक व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, वादीगण को शान्तिपूर्वक आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे।

3. वादपत्र बाद जांच दिनांक 12.01.2007 दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तरफ से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया।

4. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का जवाब रहा कि वादीगण एवं उक्त प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के मध्य कभी भी आपसी मनबट नहीं हुआ, न ही मनबट के आधार पर काश्त ही की है। प्रतिवादीगण के बुजुर्गो ने कभी भी अपनी खातेदारी भूमि का विक्रय नहीं किया, न ही अपनी भूमि पर बतौर खरीददार प्रतिवादी संख्या 26, 27 का कब्जा ही दिया है। प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण की भूमि पर बंटाई पर काश्त करते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 को ऊपज का हिस्सा देते आ रहे है। आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का विशेष कथन रहा कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही जाति समाज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के व्यक्ति हैं, जो आपस में मिले हुए है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की भूमि को जालसाजी से हडपना चाहते है। इसी गरज से आपस में मिलीभगत करके प्रतिवादी संख्या 26, 27 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, जबकि उनका खाता ही पृथक से है, उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के साथ अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि होने का वाद पेश कर वर्तमान खातेदारी में दर्ज रकबा 1.85 हैक्टेयर मे से 1.52 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा कराने का वाद पेश है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की खातेदारी मे 33 एयर भूमि बच जाती है। वादीगण किसी कदर प्रतिवादी के बुजुर्गो के द्वारा प्रतिवादी संख्या 26, 27 के हक में भूमि विक्रय करना साबित भी कर दे, तो प्रतिवादी के हक में शेष बची भूमि 33 एयर खसरा नम्बर 921 मे से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 को दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 26, 27 की तरफ से प्रस्तुत जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 26, 27 ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के बुजुर्गो से उनके हिस्सा ½ की सम्पूर्ण भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1964 में खरीदने का कथन किया है तथा उसके बावजूद खरीदे गये सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की खातेदारी नहीं खुलने के कारण प्रतिवादी के हिस्से की भूमि की घोषणा करवाना चाहा है, जबकि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के हक में 0.33 हैक्टेयर भूमि मानते है, इससे रजिस्ट्री फर्जी होना प्रतीत होती है।

प्रतिवादी संख्या 26, 27 ने अपनी जवाबदेही में एक तरफ जहां सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के हिस्से की खरीदना बताया है, वही साबिक खसरा नम्बर 1040/2 एवं 1044 पर 1964 से भी काफी समय पहले यानी 12 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की जानकारी में एवं हाल खसरा नम्बर 920, 896/4536 पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना बताया है, जिससे भी प्रतिवादी संख्या 26, 27 द्वारा भूमि खरीदना संदेहप्रद हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 26, 27 ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर काउन्टर क्लेम पेश किया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें, अन्यथा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 को खसरा नम्बर 921/0.33 हैक्टेयर का पृथक से राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा करने की कृपा करें।

5. प्रतिवादी संख्या 26, 27 का जवाब रहा कि, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के पूर्वजों ने प्रतिवादी संख्या 26 व भूरा पुत्र छोटू का दिनांक 17.02.1964 को जो विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है, उस विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 1030 का ½ हिस्सा, खसरा नम्बर 1032 का 1½ हिस्सा, 1039 का 1½ हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1040 का ½ हिस्सा तथा 1044 में 3/4 भाग एवं 1033 में ½ हिस्सा, 1035 में ½ हिस्सा, 1042 में ½ हिस्सा कुल 6 बीघा 4 बिसवा भूमि का बेचान प्रतिवादी को किया है, किन्तु पटवारी हलका द्वारा नामान्तकरण समय 1031, 1036, 1037, 1038, 1063 का सम्पूर्ण भाग एवं 1040 मे से 4 बिसवा कुल 4 बीघा 14 बिसवा का नामान्तकरण भरा गया था, जो विक्रय पत्र के अनुसार नही होने से काबिल दुरूस्ती है। प्रतिवादी संख्या 26, 27 का वर्तमान मे नये खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31, 896/4536/0.06, 920/0.21 हैक्टेयर पर कब्जा अधिकार है। विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का कोई कब्जा काश्त अधिकार नहीं है। पूर्व सैटिलमेंट के खसरा नम्बर 1040/2, 1044 पर प्रतिवादी संख्या 26, 27 का सन् 1964 से भी पहले अर्थात 12 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की जानकारी में बिना किसी बाधा के कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि के वर्तमान सैटिलमेंट द्वारा 920/0.21, 896/4536/0.06 हैक्टेयर कायम किये गये है। वादीगण ने वर्तमान खसरा नम्बर 896/4536 व 920 के ½ रकबे पर अपना कब्जा काश्त होना दावे में अंकित किया है, जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का इन नम्बरान की भूमि या उसके किसी भाग पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25, प्रतिवादी संख्या 26, 27 के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करते है, इसलिए उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 26, 27 का खसरा नम्बर 896/4536/0.06, 920/0.21 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं खसरा नम्बर 894, 896, 898, 896/4536, 920 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 26, 27 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें, आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें।

6. तारीख पेशी दिनांक 15.11.2017 पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 व 16 से 19 व 21 से 25 के विरूद्ध उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादियां संख्या 18 रोशन कंवर की मृत्यू होने पर उनका नाम हजफ करने का प्रार्थना पत्र बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुनवाई स्वीकार किया गया। पैराकार सरकार उपस्थित। उसके उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पूर्व वाद मु.न. 135/2013 बाबूलाल वगैरह बनाम मदन सिंह वगैरह को समेकित (Consolidated) किये जाने पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर उक्त दानो दावों को समेकित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 16.01.2018 वकील श्री आनन्दसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र CPC आदेश 9 नियम 7 बाबत एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने हेतु पैश किया जिसे बाद उपयपक्ष बहस न्यायहित में स्वीकार कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम की गई।
   1. आया वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का बुजुर्ग परता पुत्र सेवा जाट भूमि मुन्दर्जा जिम्मन नम्बर 13 अर्जीदावा में दर्ज साबिक खसरा नम्बरान की भूमि के ½ भाग के खातेदार काश्तकार था एवं हाल सैटिलमेंट में उसके नये नम्बर उक्त मद में दर्ज अनुसार बनाये गये ?
      —— जिम्मे वादीगण
   2. आया भूमि मुन्दर्जा जिम्मन नम्बर 1 अर्जीदावा बरूये जिम्मन नम्बर 2 अर्जीदावा परता पुत्र सेवा जाट एवं भंवरसिंह, बचन सिंह पुत्र फौजूसिंह के मध्य करीब 50 वर्ष से बाहमी बंटवारे में बंटी हुई थी एवं आपसी मनबंट के बंटवारे मे ½ हिस्से पर भंवरसिंह, बचनसिंह पुत्र फौजूसिंह काबिज रहकर काश्त करते रहे ?
      —— जिम्मे वादीगण
   3. आया बरूये जिम्मन नम्बर 2 अर्जीदावा खातेदार भंवरसिंह, बचनसिंह पुत्र फौजूसिंह ने बाहमी बंटवारे से इनके हिस्से में आयी भूमि मे से 5 बीघा 1 बिसवा भूमि का बेचान दिनांक 20.01.64 को प्रतिवादी ओमकार पुत्र सेवा व अर्जुन पुत्र सेवा जाट को कर उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर में उसका पंजियन दिनांक 02.01.64 को कराया, जिसका खरीद पर्चा खातेदारी भूमि अब खरीददारान के नाम है, वे खरीद के समय से खरीदशुदा भूमि पर काबिज है, जिसके नये नम्बर 894, 896, 898 बने हैं ?
      —— जिम्मे वादीगण
   4. आया वादीगण बरूये जिमन नम्बर 4 अर्जीदावा भूमि हाल खसरा नम्बर 895, 895/4536, 899, 900, 901, 919 लगायत 921 किता 8 रकबा 0.85 हैक्टेयर ग्राम भाबरू मे 6 बीघा 7 बिसवा भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण के नाम ½ हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज की गई, अन्यथा में वादीगण ग्राम भाबरू की जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 के खाता संख्या 403 मे दर्ज भूमि के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

½ भाग की खातेदार घोषणा कराने के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— जिम्मे वादीगण

5. यह कि आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के बुजुर्गो ने भूमि मुन्दर्जा जिमन नम्बर 1 वादपत्र के अपने ½ भाग की सम्पूर्ण भूमि का बेचान प्रतिवादीगण भूरा व अर्जुन पुत्रान सेवा को किया व प्रतिवादी भूरा, अर्जुन उस पर काबिज है, प्रतिवादी संख्या 26, 27 खरीद के आधार पर भरे गये नामान्तकरण को दुरूस्त कराने के अधिकारी है ?

—— जिम्मे प्रतिवादी 26, 27

6. आया बरूये जिमन नम्बर 13 जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 26, 27 उक्त मद मे दर्ज भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का कोई कब्जा व अधिकार नहीं है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व वादीगण के नाम खातेदारी गलत दर्ज की गई है ?

—— जिम्मे प्रतिवादी 26, 27

7. आया बरूये जिमन नम्बर 14 जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 26, 27 उनको भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 920/0.21, 895/4536 पर व वजह कब्जा मुखलाफाना हक खातेदारी प्राप्त हो गये है एवं वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— जिम्मे प्रतिवादी सं. 26, 27

8. आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के बुजुर्ग ने प्रतिवादी संख्या 26, 27 को कभी भी अपनी भूमि का विक्रय नहीं किया तथा कभी कोई कब्जा नहीं दिया व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 26, 27 के हिस्से पर आधा बंटाई पर काश्त करते है व उपज का आधा हिस्सा देते हैं ?

—— जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 25

9. आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 26, 27 ने मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की भूमि हडपने की नियत से वादपत्र पेश किया है व वादी को कोई बिनाय दावा पैदा नहीं होता है ?

—— जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 25

10. आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 बरूये उनके जवाब दावा खण्ड संख्या 13 खसरा नम्बर 921 मे से व 33 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 25

11. आया प्रतिवादी संख्या 26, 27 आराजी साबिक खसरा नम्बर 1040/2 व 1044 हाल सैटिलमेंट खसरा नम्बर 920/0.21, 896/4536/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी घोषणा के अधिकारी नहीं है ?

—— जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 25

8. वादी ने अपने वादपत्र/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 456 संवत् 2060–2063 Ex.-1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 403 संवत् 2060–2063 Ex.-2, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग Ex.-3, नकल जमाबन्दी (खतौनी) संवत् 2023 Ex.-4 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।
   मौखिक साक्ष्य के रूप में हनुमान पुत्र परता PW.-1 का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है।
9. बहस वकुलाय सुनी गई।
10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों, राजस्व रिकार्ड एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का परीक्षण उपरान्त अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वाद की तनकीयो का निर्धारण इस प्रकार से हैः–
    तनकी संख्या 1 : आया वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का बुजुर्ग परता पुत्र सेवा जाट भूमि मुन्दर्जा जिम्मन नम्बर 13 अर्जीदावा में दर्ज साबिक खसरा नम्बरान की भूमि के ½ भाग के खातेदार काश्तकार था एवं हाल सैटिलमेंट में उसके नये नम्बर उक्त मद में दर्ज अनुसार बनाये गये ?
    इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा, जिसमें संबंध में वादीगण ने Ex-4 पेश किया, जिसके मुताबिक ग्राम भाबरू के साबिक खसरा नम्बर 1028 लगायत 1040, 1042, 1044, 1045, 1063 किता 17 कुल रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग परता पुत्र तेजा जाट एवं भंवर सिंह, बच्चन सिंह पुत्र फौजू सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा उक्त साबिक खसरा नम्बरान के हाल सैटिलमेंट में नये नम्बर 894 लगायत 896, 898 लगायत 901, 919 लगायत 921, 896/4536 Ex-3 बनाये गये। आराजी मुतनाजा में भंवरसिंह, बच्चन सिंह पुत्र फौजू सिंह हिस्सा ½ एवं परता पुत्र तेजा जाट हिस्सा ½ रहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण ने तनकी संख्या 1 को बखूबी साबित किया है। अतः तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।
    तनकी संख्या 2 : आया भूमि मुन्दर्जा जिम्मन नम्बर 1 अर्जीदावा बरूये जिम्मन नम्बर 2 अर्जीदावा परता पुत्र सेवा जाट एवं भंवरसिंह, बचन सिंह पुत्र फौजूसिंह के मध्य करीब 50 वर्ष से बाहमी बंटवारे में बंटी हुई थी एवं आपसी मनबंट के बंटवारे मे ½ हिस्से पर भंवरसिंह, बचनसिंह पुत्र फौजूसिंह काबिज रहकर काश्त करते रहे ?
    इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) संवत् 2008 से 2027 साबिक खसरा नम्बर 1028, 1029, 1030,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 2039, 2040, 1042, 1044, 1045, 1063 किता 17 रकबा 12 बीघा 7 बिसवा की खातेदारी भंवरसिंह, बचनसिंह कौम राजपूत व परतया पुत्र तेजा जाट के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा कि सन 1960 में 1 रूपये के स्टाम्प पर किये गये बाहमी बंटवारे से वादीगण एवं उनके पिता परता के हिस्से में साबिक खसरा नम्बर 1028 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण, 1029 रकबा 5 बिस्वा सम्पूर्ण, 1034 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण, 1045 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा मे से हिस्सा 2½ बिस्वा, 1032 रकबा 6 बिस्वा में से हिस्सा 4½ बिस्वा, 1033 रकबा 3 बिस्वा में से 2½ बिस्वा, 1035 रकबा 3 बिस्वा में से 2½ बिस्वा, 1039 रकबा 6 बिस्वा में सें हिस्सा 4½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से हिस्सा 1 बिस्वा, 1042 रकबा 3 बिस्वा मे से 2½ बिस्वा, 1044 रकबा 4 बिस्वा में से हिस्सा 3 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा तथा शेष भूमि साबिक खसरा नम्बर 1030 रकबा 1/2 बिस्वा, 1032 रकबा 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1044 रकबा 3/4 बिस्वा, 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1033 रकबा 1/2 बिस्वा, 1035 रकबा 1/2 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1042 रकबा 1/2 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किता 13 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा सहखातेदार भंवर सिंह, बच्चन सिंह के हिस्से व कब्जे काश्त में रही थी। पक्षकारान के बाहमी बंटवारे की ताईद आराजी मुतनाजा के संबंध में न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य वाद उनवानी बाबूलाल बनाम मदनसिंह में प्रस्तुत Ex.-11 लिखापढी एक रूपया स्टाम्प सन् 1960 से होती है तथा वादी स्वयं के प्रस्तुत मुख्य परीक्षण शपथ पत्र दौराने जिरह हुई है, जिरह में वादी ने बयान किया आराजी मुतनाजा में आधा हिस्सा उसके पिता का रहा है, जिसकी काश्त वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु बाद वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त हैं। अन्य प्रस्तुत मुख्य परीक्षण शपथ पत्र जयराम पुत्र घींसाराम ने भी अपने शपथ पत्र में यह तथ्य अंकित किये हैं कि आपसी मनबट बंटवारा से परता के हिस्से में 6 बीघा 3 बिसवा भूमि आयी थी तथा सहखातेदार बचनसिंह, भंवरसिह के हिस्से की भूमि पर ओमकार पुत्र सेवा व भूरा पुत्र छोटू का कब्जा काश्त रहा है। वादी न्यायालय जिरह में खण्डित नहीं हुआ है। प्रस्तुत मुख्य परीक्षण शपथ पत्र एवं वादी जिरह से पूर्ण साबित है कि पक्षकारान के मध्य आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा हो चुका है, तथा पक्षकार अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया बरूये जिम्मन नम्बर 2 अर्जीदावा खातेदार भंवरसिंह, बचनसिंह पुत्र फौजूसिंह ने बाहमी बंटवारे से इनके हिस्से में आयी भूमि मे से 5 बीघा 1 बिसवा भूमि का बेचान दिनांक 20.01.64 को प्रतिवादी ओमकार पुत्र सेवा व अर्जुन पुत्र सेवा जाट को कर उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर में उसका पंजियन दिनांक 17.02.1964 को कराया, जिसका खरीद पर्चा खातेदारी भूमि अब खरीददारान के नाम है, वे खरीद के समय से खरीदशुदा भूमि पर काबिज है, जिसके नये नम्बर 894, 896, 898 बने हैं ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा कि साबिक सैटिलमेंट के बाद दिनांक 17.02.1964 को भूमि के सहखातेदार भंवरसिंह एवं बच्चन सिंह ने अपने 1/2 हिस्से में आयी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1033 रकबा 1/2 बिस्वा, 1035 रकबा 1/2 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1042 रकबा 1/2 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 4 बीघा 1½ बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा मे से ½ बिस्वा, 1032 रकबा 7 बिसवा में से 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 6 बिस्वा मे से 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा में सें रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा तथा 1044 रकबा 4 बिस्वा में से 3/4 बिसवा कुल किता 13 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.64 (न्यायालय हाजा में आराजी मुतनाजा से विचाराधीन वाद उनवानी बाबूलाल बनाम मदनसिंह में प्रस्तुत Ex.-6) को ओमकार पुत्र सेवा प्रतिवादी संख्या 26 को व भूरा पुत्र छोटू जाट को विक्रय किया है, जिसके नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 05.07.64 से प्रतिवादी संख्या 26, 27 का नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुआ है। भूरा के फौत होने बाद इसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा इनके वारिसान काबिज काश्त है। ओमकार व भूरा के द्वारा खरीदशुदा साबिक खसरा नम्बर 1030 से नये नम्बर 921, 1032, 1033 से 895, 1039, 1040, 1036, 1038, 1042 से 919, 1044 से 896/4536, 1031 से 894, 1035 से 920, 1037 से 896, 1063 से 898 नये खसरा नम्बर बनाये गये, जिसमें से नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा, 1036 रकबा 4 बिसवा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिसवा, 1038 रकबा 3 बिसवा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा, 1040 रकबा 4 बिसवा की खातेदारी नाम दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त सत्यापित प्रति रजिस्ट्री दिनांक 17.02.64 एवं नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 से होती है। यह भी कि खरीदार की शेष खरीदशुदा खसरा नम्बर/रकबा का नामान्तकरण नहीं खोला गया है।

तनकी संख्या 4 : आया वादीगण बरूये जिमन नम्बर 4 अर्जीदावा भूमि हाल खसरा नम्बर 895, 895/4536, 899, 900, 901, 919 लगायत 921 किता 8 रकबा 1.85 हैक्टेयर ग्राम भाबरू मे 6 बीघा 7 बिसवा भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण के नाम ½ हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज की गई, अन्यथा में वादीगण ग्राम भाबरू की जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 के खाता संख्या 403 मे दर्ज भूमि के ½ भाग की खातेदार घोषणा कराने के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। साबिक सैटिलमेंट के बाद सन् 1964 में भूमि के सहखातेदार भंवरसिंह एवं बच्चन सिंह ने अपने हिस्से में आयी भूमि मे से साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा मे से ½ बिस्वा, 1032 रकबा 7 बिसवा में 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 6 बिस्वा मे से 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 7 बिसवा, 1044 रकबा 3/4 बिसवा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.64 (न्यायालय हाजा में आराजी मुतनाजा से विचाराधीन वाद उनवानी बाबूलाल बनाम मदनसिंह में प्रस्तुत Ex.-6) को ओमकार पुत्र सेवा प्रतिवादी संख्या 26 को व भूरा पुत्र छोटू जाट को विक्रय किया है, जिसके नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 05.07.64 से प्रतिवादी संख्या 26, 27 का नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुआ है। भूरा के फौत होने बाद इसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा इनके वारिसान काबिज काश्त है। ओमकार व भूरा के द्वारा खरीदशुदा साबिक खसरा नम्बर 1030 से नये नम्बर 921, 1032, 1033 से 895, 1039, 1040, 1036, 1038, 1042 से 919, 1044 से 896/4536, 1031 से 894, 1035 से 920, 1037 से 896, 1063 से 898 नये खसरा नम्बर बनाये गये, जिसमें से नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा, 1036 रकबा 4 बिसवा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिसवा, 1038 रकबा 3 बिसवा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा, 1040 रकबा 4 बिसवा की खातेदारी नाम दर्ज हुई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त सत्यापित प्रति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्ट्री दिनांक 17.02.64 एवं नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 से होती है। यह भी कि वादीगण की खातेदारी 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु हाल सैटिलमेंट में दर्ज नये खसरा नम्बरो मे से हाल खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा उनके बुजुर्ग भूरा के नाम दर्ज कर दी गई एवं शेष भूमि हाल खसरा नम्बर 895/0.50, 896/4536/0.06, 899/0.15, 900/0.13, 901/0.15, 919/0.24, 920/0.21, 921/0.41 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर के ½ हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की गई एवं ½ हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व उनके बुजुर्गो के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई है। वादीगण की खातेदारी में साबिक रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा के मुकाबले केवल 4 बीघा 14 बिस्वा की भूमि की ही खातेदारी दर्ज हुई है प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर तनकी संख्या 4 बखूबी बहक वादीगण साबित है।

तनकी संख्या 5 : यह कि आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के बुजुर्गो ने भूमि मुन्दर्जा जिमन नम्बर 1 वादपत्र के अपने ½ भाग की सम्पूर्ण भूमि का बेचान प्रतिवादीगण भूरा व ओमकार पुत्रान सेवा को किया व प्रतिवादी भूरा, ओमकार उस पर काबिज है, प्रतिवादी संख्या 26, 27 खरीद के आधार पर भरे गये नामान्तकरण को दुरूस्त कराने के अधिकारी है ?

तनकी संख्या 6 : आया बरूये जिमन नम्बर 13 जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 26, 27 उक्त मद मे दर्ज भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का कोई कब्जा व अधिकार नहीं है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व वादीगण के नाम खातेदारी गलत दर्ज की गई है ?

तनकी संख्या 7 : आया बरूये जिमन नम्बर 14 जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 26, 27 उनको भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 920/0.21, 895/4536 पर व वजह कब्जा मुखलाफाना हक खातेदारी प्राप्त हो गये है एवं वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उक्त तीनों तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 26, 27 रहा। साबिक सैटिलमेंट के बाद सन् 1964 में भूमि के सहखातेदार भंवरसिंह एवं बच्चन सिंह ने अपने हिस्से में आयी भूमि मे से साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा मे से ½ बिस्वा, 1032 रकबा 7 बिसवा में 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 6 बिस्वा मे से 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बीघा 7 बिसवा, 1044 रकबा 4 बिस्वा मे से 3/4 बिसवा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.64 (न्यायालय हाजा में आराजी मुतनाजा से विचाराधीन वाद उनवानी बाबूलाल बनाम मदनसिंह में प्रस्तुत Ex.-6) को ओमकार पुत्र सेवा प्रतिवादी संख्या 26 को व भूरा पुत्र छोटू जाट को विक्रय किया है, जिसके नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 05.07.64 से प्रतिवादी संख्या 26, 27 का नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुआ है। भूरा के फौत होने बाद इसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा इनके वारिसान काबिज काश्त है। ओमकार व भूरा के द्वारा खरीदशुदा साबिक खसरा नम्बर 1030 से नये नम्बर 921, 1032, 1033 से 895, 1039, 1040, 1036, 1038, 1042 से 919, 1044 से 896/4536, 1031 से 894, 1035 से 920, 1037 से 896, 1063 से 898 नये खसरा नम्बर बनाये गये, जिसमें से नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा, 1036 रकबा 4 बिसवा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिसवा, 1038 रकबा 3 बिसवा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा, 1040 रकबा 4 बिसवा की खातेदारी नाम दर्ज हुई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त सत्यापित प्रति रजिस्ट्री दिनांक 17.02.64 एवं नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 से होती है। यह भी कि खरीदार की शेष खरीदशुदा खसरा नम्बर/रकबा का नामान्तकरण नहीं खोला गया है। किन्तु नामान्तकरण के समय 1031, 1036, 1037, 1038, 1063 का सम्पूर्ण भाग एवं 1040 मे से 4 बिसवा कुल 4 बीघा 14 बिसवा का नामान्तकरण भरा गया था, जो विक्रय पत्र के अनुसार नही होने से काबिल दुरूस्ती है। प्रतिवादी संख्या 26, 27 का वर्तमान मे नये खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31, 896/4536/0.06, 920/0.21 हैक्टेयर पर कब्जा अधिकार है। इस भूमि के वर्तमान सैटिलमेंट द्वारा 920/0.21, 896/4536/0.06 हैक्टेयर कायम किये गये है। वादीगण ने वर्तमान खसरा नम्बर 896/4536 व 920 के ½ रकबे पर अपना कब्जा काश्त होना दावे में अंकित किया है, जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का इन नम्बरान की भूमि या उसके किसी भाग पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25, प्रतिवादी संख्या 26, 27 के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करते है, इसलिए उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 5 बहक प्रतिवादी 26, 27 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 8 : आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के बुजुर्ग ने प्रतिवादी संख्या 26, 27 को कभी भी अपनी भूमि का विक्रय नहीं किया

सत्यमेव जयते

तथा कभी कोई कब्जा नहीं दिया व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 26, 27 के हिस्से पर आधा बंटाई पर काश्त करते है व उपज का आधा हिस्सा देते हैं ?

तनकी संख्या 9 : आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 26, 27 ने मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की भूमि हडपने की नियत से वादपत्र पेश किया है व वादी को कोई बिनाय दावा पैदा नहीं होता है ?

तनकी संख्या 10 : आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 बरूये उनके जवाब दावा खण्ड संख्या 13 खसरा नम्बर 921 मे से व 33 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

तनकी संख्या 11 : आया प्रतिवादी संख्या 26, 27 आराजी साबिक खसरा नम्बर 1040/2 व 1044 हाल सैटिलमेंट खसरा नम्बर 920/0.21, 896/4536/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी घोषणा के अधिकारी नहीं है ?

उक्त तीनों तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 रहा। साबिक सैटिलमेंट के बाद सन् 1964 में भूमि के सहखातेदार भंवरसिंह एवं बच्चन सिंह ने अपने हिस्से में आयी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1030 रकबा 3 बिस्वा मे से ½ बिस्वा, 1032 रकबा 7 बिसवा में 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 6 बिस्वा मे से 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 7 बिसवा, 1044 रकबा 3/4 बिसवा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.64 (न्यायालय हाजा में आराजी मुतनाजा से विचाराधीन वाद उनवानी बाबूलाल बनाम मदनसिंह में प्रस्तुत Ex.-6) को ओमकार पुत्र सेवा प्रतिवादी संख्या 26 को व भूरा पुत्र छोटू जाट को विक्रय किया है, जिसके नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 05.07.64 से प्रतिवादी संख्या 26, 27 का नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुआ है। भूरा के फौत होने बाद इसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा इनके वारिसान काबिज काश्त है। ओमकार व भूरा के द्वारा खरीदशुदा साबिक खसरा नम्बर 1030 से नये नम्बर 921, 1032, 1033 से 895, 1039, 1040, 1036, 1038, 1042 से 919, 1044 से 896/4536, 1031 से 894, 1035 से 920, 1037 से 896, 1063 से 898 नये खसरा नम्बर बनाये गये, जिसमें से नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा, 1036 रकबा 4 बिसवा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिसवा, 1038 रकबा 3 बिसवा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा, 1040 रकबा 4 बिसवा की खातेदारी नाम दर्ज हुई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त सत्यापित प्रति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्ट्री दिनांक 17.02.64 एवं नामान्तकरण दिनांक 05.07.64 से होती है। यह भी कि खरीदार की शेष खरीदशुदा खसरा नम्बर/रकबा का नामान्तकरण नहीं खोला गया है। ओमकार व भूरा के कब्जे काश्त व खरीदशुदा भूमि के हाल खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.26 हैक्टेयर बनाये गये है, जिनकी खातेदारी भी मौजूदा में प्रतिवादी संख्या 26, 27 ओमकार व अर्जुन के नाम दर्ज है। वादीगण की खातेदारी 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि मे दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु हाल सैटिलमेंट में दर्ज नये खसरा नम्बरो मे से हाल खसरा नम्बर 894/0.45, 896/0.50, 898/0.31 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 26, 27 तथा उनके बुजुर्ग भूरा के नाम दर्ज कर दी गई एवं शेष भूमि हाल खसरा नम्बर 895/0.50, 896/4536/0.06, 899/0.15, 900/0.13, 901/0.15, 919/0.24, 920/0.21, 921/0.41 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर के ½ हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की गई एवं ½ हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व उनके बुजुर्गो के नाम गलत रूप से दर्ज की गई है, जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उपर्युक्त तनकियात के विवेचन से पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के जिम्मे तनकियात विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 निर्णीत की जाती हैं।

यह भी कि आराजी मुतनाजा के संबंध में प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 33 लगायत 47 ने न्यायालय हाजा में उनवानी हनुमान वगैरह बनाम मदन सिंह वगैरह दावा बाबत इस्तराहक व स्थायी निषेधाज्ञा का दायर कर रखा है, जिसमें प्रस्तुत वाद के वादीगण पक्षकार प्रतिवादी है तथा उक्त वाद में जवाब दावा मय प्रतिवादा प्रस्तुत कर रखा है। हस्तगत वाद के वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1, 2 पेश कर खसरा नम्बर 896/4536/0.06, 920/0.21 हैक्टेयर की घोषणा खातेदारी के अनुतोष कर दिया है तथा उनवानी वादी बाबुलाल वगैरह बनाम मदनसिंह के वादीगण ने वाद के बंटवारा अनुतोष को नहीं चाहा गया है।

राजस्व वाद उनवानी हनुमान बनाम मदन सिंह वगैरह के विचारण दौरान ही प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 20 के पिता व पति मोहनसिंह पुत्र भंवर सिंह ने तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 12 व 15 ने तथा प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 एवं प्रतिवादी संख्या 31 की माता मृतक ओम कंवर तथा 21 लगायत 27 ने आराजी खसरा नम्बर 895/0.50, 896/4536/0.06, 899/0.15, 900/0.13, 901/0.15, 919/0.24, 920/0.21 हैक्टेयर कुल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किता 7 रकबा 1.44 हैक्टेयर मे से अपना हिस्सा क्रमशः 1/20, 1/20, 1/20 व 1/4 को प्रतिवादी संख्या 32 के पक्ष में दिनांक 17.04.2012 व दिनांक 24.05.2012 को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि उक्त विक्रय पत्र बिना हक अधिकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 32 के पक्ष में पंजीबद्ध कराये गये है, जो प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है, जो वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध निष्प्रभावी है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 17.02.1964 के एवं कब्जे काश्त के आधार पर उनवानी वाद संख्या 135/2013 बाबुलाल वगैरह बनाम मदनसिंह वगैरह के वादीगण को हाल खसरा नम्बर 896/4536/0.06, 920/0.21 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

11. निष्कर्षतः साबिक सैटिलमेंट के बाद विवादित भूमि के सहखातेदार भंवरसिंह एवं बच्चन सिंह ने अपने 1/2 हिस्से में आयी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1030 रकबा 1/2 बिस्वा, 1032 रकबा 1½ बिस्वा, 1039 रकबा 1½ बिस्वा, 1040 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1044 रकबा 3/4 बिस्वा, 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1033 रकबा 1/2 बिस्वा, 1035 रकबा 1/2 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1042 रकबा 1/2 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा का बेचान दिनांक 17.02. 1964 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (न्यायालय हाजा में आराजी मुतनाजा से विचाराधीन वाद उनवानी बाबूलाल बनाम मदनसिंह में प्रस्तुत Ex.-6) को ओमकार पुत्र सेवा प्रतिवादी संख्या 26 को व भूरा पुत्र छोटू जाट को किया है, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 05.07.64 को नामान्तकरण संख्या 376 से प्रतिवादी संख्या 26, 27 के बुजूर्गो यथा भुरा पुत्र छोटू व ओमकार पुत्र सेवा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। लेकिन उक्त दर्ज नामान्तरण में खरीदशुदा खसरा नम्बरों में से केवल खसरा न. 1031 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1036 रकबा 4 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1038 रकबा 3 बिस्वा, 1063 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1040 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा का ही नामान्तरण क्रेता ओमकार व भूरा के नाम दर्ज हुआ तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित अन्य खसरा नम्बरों का नामान्तरण राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से दर्ज नही किया गया। इसकी पूष्ठि हेतु मूल नामान्तरण रजिस्टर एवं मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का भी परीक्षण किया गया। जिससे राजस्व कर्मियों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में बेचान किये गये सम्पूर्ण खसरा नम्बरों का नामान्तरण क्रेता के नाम दर्ज न कर भूल की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ओमकार एवं भूरा के फौत होने बाद इसके हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 26, 27 काबिज काश्त है। खरीदशुदा साबिक खसरा नम्बर 1030 से नये खसरा नम्बर 921, 1032, 1033 से 895, 1039, 1040, 1036, 1038, 1042 से 919, 1044 से 896/4536, 1031 से 894, 1035 से 920, 1037 से 896, 1063 से 898 बनाये गये है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र इस कदर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 895, 899, 900, 901, 919, 921 किता 6 रकबा 1.58 हैक्टेयर मे से 1.52 हैक्टेयर का तथा प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 27/7 को खसरा नम्बर 896/4536 रकबा 0.06है., खसरा नम्बर 920 रकबा 0.21है. किता 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 का नाम खातेदारी से हजब कर उक्त को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक ..... को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 08/2007 (122/2012) दायर तारीख :– 12.01.2007

1. हनुमान
2. भगवाना
3. सरदारा
4. फूला
5. श्यामलाल
6. हजारी लाल

पुत्रान परता

7. कानाराम पुत्र बद्री (फौत)
   - 7/1. लाली देवी पत्नि कानाराम
   - 7/2. उर्मिला पुत्री कानाराम
   - 7/3. कृष्ण पुत्र कानाराम
   - 7/4. पंकज पुत्र कानाराम नाबालिक जरिए माता लाली देवी पत्नि कानाराम
8. ग्यारसीलाल
9. बल्लाराम

पुत्रान बद्री

समस्त जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

— वादीगण

बनाम

1. मदन सिंह
2. गोपाल सिंह
3. नरपत सिंह
4. जसवन्त सिंह

पुत्रान रामचन्द्र सिंह

5. सुमेर कंवर पत्नि रामचन्द्र सिंह
6. राजेन्द्र सिंह
7. नन्दसिंह
8. लालसिंह
9. मुकेश सिंह

पुत्रान किशोर सिंह

जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर

10. सन्तोष कंवर पत्नि किशोर सिंह (फौत)
    - 10/1. विमला कंवर
    - 10/2. कमला कंवर
    - 10/3. सरोज कंवर

पुत्रियां किशोर सिंह

11. ईश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह

12. श्यामा कंवर पत्नि कल्याण सिंह (फौत)
12/1. उगम कंवर पुत्री कल्याण सिंह
13. मोहन सिंह पुत्र भंवर सिंह (फौत)
13/1. दातारा सिंह } पुत्रान मोहन सिंह
13/2. पृथ्वी सिंह }
13/3. मदन कंवर } पुत्रियां मोहन सिंह
13/4. सुप्यार कंवर }
13/5. मोहनी कंवर पत्नि मोहन सिंह
14. रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
15. सुमन कंवर पत्नि बच्चन सिंह (नाम हजफ)
15/1. ओम कंवर पत्नि छींतर सिंह
15/2. कबूल कंवर पुत्री छींतर सिंह
16. बिरजू सिंह } पुत्रान जयपाल सिंह
17. धर्म सिंह }
18. रोशन कंवर पत्नि जयपाल सिंह (नाम हजफ)
19. बिना उर्फ कृष्ण कंवर
20. मनीषा } पुत्रियान जयपाल सिंह
21. मिथलेश
22. रेखा
23. हरि सिंह
24. किरोडी सिंह } पिता छींतर सिंह
25. बल्लू

समस्त जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

26. ओमकार पुत्र सेवा (फौत)
26/1. बाबूलाल
26/2. रामकरण } पुत्रान ओमकार
26/3. अशोक
26/4. गुल्ली देवी पत्नी ओमकार

जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

26/5. सरजो उर्फ सुरजी देवी पुत्री ओमकार पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
26/6. प्रेम देवी पत्नि शंकर लाल पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी देवन रोड शाहपुरा

26/7. नन्छी देवी पुत्री ओमकार पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी मैड तहसील विराटनगर

26/8. फूली देवी पुत्री ओमकार पत्नि नन्दाराम } जाति जाट नि॰ किशोरपुरा
26/9. मीरा देवी पुत्री ओमकार पत्नि हरफूल } तह॰ नीमकाथाना

26/10. कलावती उर्फ कविता पुत्री ओमकार पत्नि सुल्तान जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर

26/11. निर्मला पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

27. अर्जुन पुत्र सेवा (फौत)
- 27/1. मामराज
- 27/2. प्रहलाद — पुत्रान अर्जुन
- 27/3. मोहनलाल
- 27/4. दीपक
- 27/5. पुष्पा — पुत्रियां अर्जुन
- 27/6. सुमन
- 27/7. दाखली पत्नि अर्जुन

जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

28. तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जयपुर

29. पटवारी हलका भाबरू तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

30. सुरजी
31. चन्दा
32. धोली
33. तीजा
34. मिश्री

पुत्रियां बद्री, जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या :– 135/2013 **दायर तारीख :– 19.09.2013**

1. बाबूलाल
2. रामकरण — पुत्रान ओमकार
3. अशोक
4. गुल्ली देवी पत्नि ओमकार

समस्त जाति जाट, निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर

5. सरजो उर्फ सुरजी पुत्री ओमकार पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. प्रेम देवी पत्नि शंकरलाल पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी निवासी देवन रोड शाहपुरा जिला जयपुर।
7. नन्छी देवी पुत्री ओमकार पत्नि हनुमान } जाति जाट निवासी मैड
8. फूली देवी पुत्री ओमकार पत्नि नन्दाराम } तहसील विराटनगर, जयपुर
9. मीरा देवी पुत्री ओमकार पत्नि हरफूल } निवासी किशोरपुरा
10. कलावती उर्फ कविता पुत्री ओमकार पत्नि सुल्तान } तह॰ नीमकाथाना
11. निर्मला पुत्री ओमकार जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
12. अर्जुन पुत्र सेवा (फौत)
    - 12/1. मामराज
    - 12/2. प्रहलाद
    - 12/3. मोहनलाल
    - 12/4. दीपक

    पुत्रान अर्जुन
    - 12/5. पुष्पा
    - 12/6. सुमन

    पुत्रियां अर्जुन
    - 12/7. दाखली पत्नि अर्जुन

    जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. मदन सिंह
2. गोपाल सिंह
3. नरपत सिंह
4. जसवन्त सिंह

   पुत्रान रामचन्द्र सिंह
5. सुमेर कंवर पत्नि रामचन्द्र सिंह
6. राजेन्द्र सिंह
7. नन्दसिंह
8. लालसिंह
9. मुकेश सिंह

   पुत्रान किशोर सिंह

   जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जयपुर
10. विमला कंवर
11. कमला कंवर
12. सरोज कंवर

    पुत्रियां किशोर सिंह
13. ईश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह
14. श्यामा कंवर पत्नि कल्याण सिंह (फौत)
    - 14/1. उगम कंवर पुत्री कल्याण सिंह
15. रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
16. दातारा सिंह

    पुत्रान मोहन सिंह

17. पृथ्वी सिंह
18. मदन कंवर } पुत्रियां मोहन सिंह — जाति राजपूत
19. सुप्यार कंवर } — निवासी भाबरू
20. मोहनी कंवर पत्नि मोहन सिंह — तहसील विराटनगर
21. बिरजू सिंह पुत्र जयपाल सिंह — जिला जयपुर
22. धर्म सिंह उर्फ धर्मेन्द सिंह पुत्र जयपाल सिंह
23. रोशन कंवर पत्नि
24. न जयपाल सिंह (नाम हजफ)
25. बीना उर्फ कृष्णा कंवर
26. मनीषा कंवर — पिता जयपाल सिंह — जाति राजपूत
27. मिथलेश कंवर — निवासी भाबरू
28. रेखा कंवर — तहसील विराटनगर
29. हरि सिंह } पिता छींतर सिंह
30. किरोडी सिंह }
31. बल्लू सिंह पुत्र छींतर सिंह
32. कबूल कंवर पुत्री छींतर सिंह
33. कुसुम कंवर पत्नि गजेनद्र सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर, जयपुर
34. हनुमान
35. भगवाना
36. सरदारा — पुत्रान परता
37. फूला
38. श्यामलाल — जाति जाट निवासी भाबरू
39. हजारीलाल — तहसील विराटनगर ,जयपुर
40. कानाराम पुत्र बद्री (फौत)
    - 40/1. लाली देवी पत्नि कानाराम
    - 40/2. उर्मिला पुत्री कानाराम
    - 40/3. कृष्ण पुत्र कानाराम
    - 40/4. पंकज पुत्र कानाराम नाबालिक जरिए माता लाली देवी पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी भाबरू, तहसील विराटनगर
41. ग्यारसीलाल } पुत्रान बद्री
42. बल्लाराम }
43. सुरजी
44. चन्दा
45. धोली — पुत्रियां बद्री — जाति जाट, निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

46. तीजा
47. मिश्री
48. लाडा देवी पत्नि बद्री
49. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
50. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर

जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 08/2007 (122/2012) दावा बाबत **इस्तकरारहक खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 135/2013 दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदन लाल जाट एडवोकेट** व हाजरी ..... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत, श्री रामगोपाल गुप्ता, श्री महेशचन्द मुदगल एडवोकेट** वादीगण का वादपत्र इस कदर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 895, 899, 900, 901, 919, 921 किता 6 रकबा 1.58 हैक्टेयर मे से 1.52 हैक्टेयर का तथा प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 27/7 को खसरा नम्बर 896/4536 रकबा 0.06है., खसरा नम्बर 920 रकबा 0.21है. किता 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 का नाम खातेदारी से हजब कर उक्त को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक ..... को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

नोटः– संशोधन आदेश दिनांक 09.04.2018 से निर्णय व डिक्री में वादी संख्या 4/प्रतिवादी संख्या 37 का नाम फूला की जगह मूला तथा प्रतिवादी सं. 23 व 24 को प्रतिवादी सं. 23 माना जावे एवं इसी कम में आगे के प्रतिवादी माना जावें।

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख ....** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

ए